परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण दिनांक 25 नवम्बर 2015 पर आधारित है।

ADB ASIAN DEVELOPMENT BANK

एशिया विकास बैंक

भारत : प्राथमिकोत्तर शिक्षा में केरल के अतिरिक्त कौशल अर्जन कार्यक्रम हेतु सहायता

परियोजना का नाम	प्राथमिकोत्तर शिक्षा में केरल के अतिरिक्त कौशल अर्जन कार्यक्रम हेतु सहायता
परियोजना संख्या	47334-002
देश	भारत
परियोजना की स्थिति	अनुमोदित
परियोजना प्रकार/सहायता की विधि	ऋण तकनीकी सहायता
वित्तपोषण का स्रोत / राशि	**ऋण 3188–आईएनडी : प्राथमिकोत्तर शिक्षा में केरल के अतिरिक्त कौशल अर्जन कार्यक्रम हेतु सहायता** साधारण पूंजी संसाधन — यूएस $ 100.00 मिलियन **टीए 8760–आईएनडी : अतिरिक्त कौशल अर्जन कार्यक्रम हेतु क्षमता निर्माण** गरीबी उपशमन हेतु जापान निधि — यूएस $ 1.50 मिलियन
रणनीतिक कार्यसूची	समावेशी आर्थिक विकास
परिवर्तन के प्रेरक	अभिशासन और क्षमता विकास ज्ञान समाधान भागीदारियां निजी क्षेत्र विकास
सेक्टर/सब–सेक्टर	**शिक्षा** – तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण
लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण	लैंगिक समानता
विवरण	केरल सरकार (जीओके) द्वारा केरल राज्य कौशल विकास परियोजना जुलाई, 2012 में राज्य के युवाओं की रोजगारपरकता में वृद्धि तथा उत्पादक रोजगार हेतु अवसर पैदा करने हेतु आरंभ की गई थी। इसमें आपूर्ति पक्ष समस्याओं को हल करने के लिए दो उप–कार्यक्रम हैं। पहला, अतिरिक्त कौशल अर्जन कार्यक्रम

	(एएसएपी), उच्चतर शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा विभाग, केरल सरकार द्वारा न्यून रोजगारपरकता के निवारक आयाम को संबोधित करने हेतु डिजाइन किया गया है। दूसरा, अतिरिक्त कौशल संवर्द्धन कार्यक्रम, श्रम एवं रोजगार विभाग तथा स्थानीय स्व सरकार, केरल सरकार द्वारा रोजगार केन्द्रों में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं के पुनर्कौशलीकरण पर फोकस द्वारा उपचारी आयाम को संबोधित करने हेतु डिजाइन किया गया है। भारत सरकार और केरल सरकार ने एशिया विकास बैंक से एएसएपी की मजबूती तथा विस्तार के लिए सहायता का अनुरोध किया है क्योंकि इसका लक्ष्य न्यून रोजगारपरकता शीघ्र हल करने के लिए सामान्य और व्यवसायिक शिक्षा को एकीकृत करना है ताकि विद्यार्थी स्कूल और कालेज में पढ़ाई करने के दौरान ही बाजार में रोजगार के लिए तैयार हो सकें। इसका प्रभाव केरल के युवाओं के रोजगार की वृद्धि के रूप में होगा। निष्कर्ष यह है कि सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त हायर सेकेण्डरी स्कूलें तथा कला–विज्ञान कालेजों के स्नातक अधिक रोजगार योग्य हैं। यह निम्नलिखित आउटपुट्स द्वारा हासिल किया जाएगा :(i) प्राथमिकोत्तर शिक्षा में बाजार–प्रासंगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण आरंभ करने द्वारा, (ii) गुणवत्तापूर्ण व्यवसायिक प्रशिक्षण सुलभ बनाने द्वारा, (iii) जागरूकता तथा निजी सेक्टर की प्रतिभागिता बढ़ाने द्वारा, (iv) प्रबंधन में सुधार तथा मानीटरिंग और मूल्यांकन द्वारा।
परियोजना तर्काधार और कंट्री/क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबंध	एएसएपी हेतु प्रस्तावित सहायता भारत देश भागीदारी रणनीति, 2013–2017 की प्राथमिकताएं परिलक्षित करता है, जो समावेशी विकास की दिशा में भारत के प्रयासों को मजबूत बनाने का प्रयास है तथा शिक्षा (टीवीईटी पर फोकस के साथ) को एडीबी के भारत परिचालन में एक नए सेक्टर के रूप में मान्यता प्रदान करता है। यह रणनीति 2020 की मध्यावधि समीक्षा के भी निकट संरेखित है, जिसमें परिणामों के उत्तोलन तथा सुधार के लिए मानव पूंजी विकास के प्रोत्साहन तथा निजी–सार्वजनिक भागीदारियां सुकर बनाने के लिए प्राथमिकोत्तर शिक्षा पर फोकस करते हुए एडीबी द्वारा शिक्षा सेक्टर ऋण को 2008–2012 के दौरान 3 प्रतिशत से बढ़ाकर वार्षिक अनुमोदनों के 6 प्रतिशत से 10 प्रतिशत करने की जरूरत पर बल दिया गया है।
प्रभाव	केरल के युवाओं (15 से 24 वर्ष आयु) के रोजगार में वृद्धि

परियोजना परिणाम

परिणाम का वर्णन	एएसएपी प्रमाणपत्र धारकों की रोजगारपरकता में वृद्धि
परिणाम की दिशा में प्रगति	परिणाम संकेतक हेतु आधाररेखा 2016 तक तैयार की जाएगी। रोजगारपरकता का सूचकांक डिजाइन करने तथा एएसएपी प्रशिक्षण की प्रभावोत्पादकता आकलन के लिए अनुमार्गी सर्वेक्षण की जिम्मेदारी के लिए एक परामर्शी फर्म नियुक्त की गई है।

कार्यान्वयन प्रगति

परियोजना आउटपुट्स का वर्णन	प्राथमिकोत्तर शिक्षा में बाजार–प्रासंगिक व्यावसायिक प्रशिक्षण आरंभ हुई गुणवत्तापूर्ण व्यवसायिक प्रशिक्षण सुलभ जागरूकता वृद्धि तथा निजी सेक्टर की प्रतिभागिता सुगम हुई प्रबंधन तथा एमई में सुधार
कार्यान्वयन प्रगति की स्थिति (आउटपुट्स, गतिविधियां और मुद्दे)	प्राथमिकोत्तर शिक्षा में बाजार–प्रासंगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण आरंभ : "प्राथमिकोत्तर शिक्षा में बाजार–प्रासंगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण आरंभ" इससे संबंधित संवितरण–संबद्ध संकेतक (डीएलआई) है। एएसएपी में वर्तमान में 17 सेक्टरों में 73 कौशल पाठ्यक्रम ऑफर किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण सामग्री की गुणवत्ता और निर्धारित राष्ट्रीय व्यवसाय मानक (एनओएस)/एनसीवीटी के साथ संरेखण की व्यापक समीक्षा प्रक्रियाधीन है। ऐसे मामलों में जहां निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा ऑफर की जा रही पाठ्यक्रम सामग्री घटिया है, पाठ्यक्रम सामग्री के सुधार हेतु 1.5 मिलियन डालर की टीए परियोजना के तहत सहायता प्रदान की जा रही है। चूंकि अधिकांश निजी प्रशिक्षण प्रदाता और सेक्टर कौशल परिषदें (एसएससी'ज) अपेक्षाकृत नई हैं तथा उनमें अच्छी गुणवत्ता के प्रशिक्षकों तथा आकलनकर्ताओं का अभाव है, एडीबी एएसएपी स्टाफ के साथ मिलकर पारितंत्र को मजबूत बनाने हेतु कार्यरत है। यह एनएसडीसी, प्रशिक्षण प्रदाताओं तथा एसएससी6ज के साथ समन्वय द्वारा प्रशिक्षण सामग्री तथा आकलनकर्ताओं का सुधार सुनिश्चित कर रहा है। 2. गुणवत्तापूर्ण व्यवसायिक प्रशिक्षण सुलभता वृद्धि : 15 सामुदायिक कौशल पार्क्स के लिए स्थलों का चयन किया जा चुका है। डिजाइन तथा पर्यवेक्षण परामर्शी फर्म स्थल विशिष्ट वास्तु डिजाइन तैयार कर रही है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट्स (डीपीआर'स) तैयार की जा रही हैं। निविदा कार्य सितम्बर, 2015 में प्रारंभ होने की आशा की जाती है। 2 से 3 सीएसपी'ज का पहला सेट 2016 के अंत तक पूर्ण होने की आशा है। एएसएपी सचिवालय द्वारा लगभग 100 कौशल विकास केन्द्र (एसडीसी'ज) भी स्थापित किए गए हैं। औसत के आधार पर, एएसएपी के साझीदार उच्चतर माध्यमिक स्कूलों/कालेजों में लगभग 5 कमरे समुन्नत किए गए हैं। इनमें सुधारीकृत फर्नीचर, कम्प्यूटर लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है। इन एसडीसी'ज में बुनियादी प्रशिक्षण तथा सीमित व्यवसायिक प्रशिक्षण पहले ही प्रदान किया जा रहा है। सीएसपी'ज प्रचालनशील हो जाने पर मुख्य व्यवसायिक प्रशिक्षण वहां स्थानांतरित हो जाएगा।

3. जागरूकता वड़ी तथा निजी सेक्टर प्रतिभागिता सुकर बनाई गई : इससे संबंधित डीएलआई "एएसएपी पाठ्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या" है। एमआईएस अभिलेखों के अनुसार 30 जून, 2015 तक 38,873 विद्यार्थियों ने व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरंभ किया है, 41,416 ने बुनियादी प्रशिक्षण आरंभ किया है। औसत आधार पर, 54 प्रतिशत प्रशिक्षार्थी महिलाएं तथा/अथवा बीपीएल हैं। अप्रैल/मई, 2015 में आरंभ किए गए ग्रीष्म कौशल कार्यक्रम के तहत 7387 अतिरिक्त विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण हेतु नामांकन करवाया है। 2015 के लिए निर्धारित लक्ष्य (संचयी आधार पर 30,000 से अधिक विद्यार्थी) हासिल किया जा चुका है।

4. कार्यक्रम प्रबंधन तथा एम एवं ई में सुधार : इस हेतु डीएलआई "बुनियादी प्रशिक्षण (अर्थात संवाद अंग्रेजी, बेसिक आईटी तथा काउन्सिलिंग) प्रदान करने हेतु कौशल विकास कार्यपालकों के नामांकन संख्या की वृद्धि" है। 8 जुलाई, 2015 तक 1669 एसडीई'ज का नाम सूचीबद्ध किया जा चुकाहै। इनमें 66 प्रतिशत महिलाएं हैं। वर्ष 2015 हेतु डीएलआई लक्ष्य (1500 एसडीई'ज) पार किया जा चुका है।

भौगोलिक अवस्थिति	
संरक्षा संवर्ग	
पर्यावरण	ख
अस्वैच्छिक पुनर्वास	ग
स्वदेशी लोग	ग

पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों का सारांश

पर्यावरण–पहलू	कार्यक्रम पर्यावरण की दृष्टि से संवर्ग "ख" में सूचीबद्ध किया गया है।
अस्वैच्छिक पुनर्वास	कार्यक्रम अस्वैच्छिक पुनर्वास की दृष्टि से संवर्ग "ग" में सूचीबद्ध किया जा रहा है। कोई नई भूमि अधिग्रहीत नहीं की जाएगी और न कोई विस्थापित किया जाएगा।
स्वदेशी लोग	कार्यक्रम स्वदेशी लोगों के लिए संवर्ग "ग" में है क्योंकि कार्यक्रम के तहत नए समुदाय कौशल पार्क्स का निर्माण भारमुक्त सरकारी भूमि पर करने तथा विद्यमान सरकारी भवनों को समुदाय कौशल पार्क्स के रूप में समुन्नत करने तथा रीमॉडलिंग के लिए सहायता दी जाएगी। स्वदेशी लोग केरल की जनसंख्या का केवल 1 प्रतिशत हैं तथा सिविल निर्माणों द्वारा किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होगी।

स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामश

परियोजना डिजाइन के दौरान	अतिरिक्त कौशल अर्जन कार्यक्रम (एएसएपी) उच्चतर माध्यमिक स्कूलों तथा अंडरग्रेजुएट कालेजों के सभी संबद्ध स्टेकहोल्डर्स विद्यार्थियों, प्रधानाचार्यों, अभिभावकों, उद्योग संघों तथा सेक्टर कौशल परिषदों के साथ व्यापक (तथा जारी) परामर्श के आधार पर डिजाइन किया गया है।
परियोजना कार्यान्वयन के दौरान	एएसएपी सचिवालय परियोजना कार्यान्वयन के दौरान उपरोक्त विस्तार प्रयास जारी रखेगा। एक विस्तृत संचार रणनीति तथा रोल–आउट प्लान तैयार किया जा चुका है।

व्यवसाय अवसर

परामर्शी सेवाए	यह एक परिणाम–आधारित ऋण है। सभी प्रापण तथा परामर्शदाता भर्ती कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा देश प्रणाली के अनुरूप की जाएंगी।
अधिप्राप्ति	यह एक परिणाम–आधारित ऋण है। सभी प्रापण तथा परामर्शदाता भर्ती कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा देश प्रणाली के अनुरूप की जाएंगी। व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण सेवा प्रदाता भर्ती किए जाएंगे। प्रापण में सिविल कार्य (समुदाय कौशल पार्क्स का समुन्नयन) तथा प्रशिक्षण उपस्कर एवं अध्यापन सामग्री का क्रय शामिल होगा।

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	शमित चक्रवर्ती
जिम्मेदार एडीबी विभाग	दक्षिण एशिया विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	मानव और सामाजिक विकास प्रभाग, एसएआरडी

निष्पादक अभिकरण	**उच्चतर शिक्षा विभाग, केरल सरकार** GKUZHIVELI@GMAIL.COM तृतीय तल, सचिवालय उपभवन, मूर्ति, तिरूवनन्तपुरम, केरल भारत

समयतालिका

अवधारणा मंजूरी	19 जून 2014
तथ्य अन्वेषण	09 जून 2014 से 20 जून 2014 तक
एमआरएम	08 अगस्त 2014
अनुमोदन	19 नवम्बर 2014
अंतिम समीक्षा मिशन	-
अंतिम पीडीएस अद्यतन	01 सितम्बर 2015

ऋण 3188–आईएनडी

मीलपत्थर

अनुमोदन	हस्ताक्षर तिथि	प्रभावोत्पादकता तिथि	अनुमोदन समापन		
			मूल	संशोधित	वास्तविक
19 नवम्बर 2014	27 नवम्बर 2014	11 दिसम्बर 2014	30 जून 2019	-	-

वित्तपोषण योजना

	योग (राशि मिलियन अमेरिकी डालर में)
परियोजना लागत	147.00
एडीबी	100.00
पूरक	47.00
सहवित्तपोषण	0.00

ऋण उपयोग

तिथि	एडीबी	अन्य	शुद्ध प्रतिशत
संचयी संविदा पुरस्कार			
19 नवम्बर 2014	40.00	0.00	40%
संचयी संवितरण			
19 नवम्बर 2014	40.00	0.00	40%

टीए 8760–आईएनडी

मीलपत्थर

अनुमोदन	हस्ताक्षर तिथि	प्रभावोत्पादकता तिथि	अनुमोदन समापन		
			मूल	संशोधित	वास्तविक
19 नवम्बर 2014	01 दिसम्बर 2014	01 दिसम्बर 2014	30 अप्रैल 2017	-	-

वित्तपोषण योजना / टीए उपयोग

संचयी संवितरण

एडीबी	सहवित्तपोषण	पूरक				योग	तिथि	राशि
		सरकार	लाभार्थी	परियोजना प्रायोजक	अन्य			
0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	19 नवम्बर 2014	283,550.00

परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम के विषय में संक्षिप्त सूचना होती है। चूंकि पीडीएस एक प्रगति अधीन कार्य होता है, कुछ सूचनाएं इसके प्रारंभिक संस्करण में शामिल नहीं हो सकती हैं, परंतु इनके उपलब्ध होने पर शामिल कर ली जाएंगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में सूचना अनन्तिम और संकेतात्मक है।

एडीबी इस परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में दी गई जानकारी इसके उपयोगकर्ताओं को, किसी भी प्रकार के आश्वासन के बगैर, केवलतम संसाधन के रूप में उपलब्ध कराता है। जबकि एडीबी उच्च गुणवत्ता की विषयसामग्री उपलब्ध कराता है, तथापि उपलब्ध कराई गई जानकारी "जैसी है" आधार पर, व्यापारयोग्यता, किसी विशेष प्रयोजन हेतु उपयुक्तता और अनातिक्रमण की सीमानिर्धारण वारंटियों सहित किसी भी प्रकार की वारंटी, लिखित या अभिप्रेत, के बिना उपलब्ध कराई जाती है। एडीबी विशेष रूप से ऐसी किसी भी जानकारी की सटीकता अथवा पूर्णता के संबंध में कोई वारंटी अथवा अभिवेदन प्रस्तुत नहीं करता है।